पानी के अवैध कारोबार में कई एजेंसियों का फैला मायाजाल

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। पन्ना जिला मुख्यालय सहित तहसील क्षेत्रों में पानी का अवैध व्यापार खुलेआम राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण मे फल फूल रहा है। सीधे ट्यूबवेल से बिना उपचारित किये हुये पानी की सप्लाई आरो के नाम पर की जा रही है। कई निजी एजेंसियां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कारोबार शुरू कर चुकी हैं। जो पैक डिब्बों से लेकर बाटलों के माध्यम से पानी की बिक्री विभिन्न क्षेत्रों मे कर रहीं हैं। किन्तु इन एजेंसियों में कितनी बैध हैं और कितनी अवैध आज तक प्रशासन जांच नहीं करवा पाया। लिहाजा अवैध कारोबारी भी पानी के व्यापार में लगा हुआ है।

इतना ही नहीं प्रतिवर्ष पानी के व्यापार का धंधा बढ़ता ही जा रहा है। कई नये-नये कारोबारी इस क्षेत्र में प्रवेश हो रहे हैं। इसलिये इन एजेंसियों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। किन्तु पानी की गुणवत्ता से लेकर कारोबार के लिये जरूरी लाईसेंस आदि की बात की जाय तो पता चलेगा कि कई एजेंसियों का काम अवैधानिक रूप से ही संचालित हो रहा है।

नहीं मिलेगा बीआईएस प्रमाण पत्र और खाद्य लाईसेंस का रिकार्ड:- पानी के कारोबारियों के लिये जरूरी है कि उनके पास भारतीय मानक ब्यूरो का बीआईएस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ ही खाद्य लाइसेंस भी होना चाहिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कृपा कही जाय अथवा प्रशासन की ढिलाई जिसके चलते कई कारोबारी अवैध रूप से पानी का कारोबार

कर रहे हैं। यदि सभी कारोबारियों के ठिकानों की जांच हो जाय तो पता चलेगा कि उनका पानी का कारोबार पूरी तरह से अवैधानिक रूप से संचालित हो रहा है।

20 लीटर वाले जारों में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा:- चूंकि शहरों में जनता को नगरीय निकाय शुद्ध पानी देने में समर्थ नहीं हैं। इसलिये जब कई लोग इसी तरह के पानी कारोबारियों के द्वारा पीने के लिये पानी की खरीदी करते हैं। यही कारण है कि 20 लीटर के जारों के माध्यम से शहर में पानी की बिक्री बड़ी तेजी से हो रही है। कई मोहल्लों में पानी की बिक्री करने वाली गाड़ियां सुबह से ही 20 लीटर के जार लोड कर सप्लाई करने पहुच जाती हैं। किन्तु उन पानी के डिब्बों में न तो किसी भी तरह की पैकिंग का प्रमाण होता है और न ही एजेंसी का ही कोई नाम व पता लिखा होता है। कौन सी एजेंसी कितना पानी बिक्री कर रही है उसके पानी की गुणवत्ता क्या है इसका भी परीक्षण नहीं होता। इसलिये बीस लीटर के डिब्बों के माध्यम से जिस तरह से पानी का अवैध एव गैर प्रामाणिक कारोबार चल रहा है वह भविष्य के लिये गंभीर खतरा भी हो सकता है। यदि इस तरह का पानी कभी प्रदूषित या जहरीला निकल जाय, कोई बीमार हो जाय या किसी की मौत हो जाय तो उसके लिये जिम्मेदार कौन होगा? बिक्री करने वाली एजेसी भी यही कहेगी कि उसने पानी की बिक्री नहीं किया है, यदि किया है तो उसका प्रमाण पत्र दिखाओ। संबंधित एजेंसियां जब बिल लेती हैं तो कोई रसीद भी उनके द्वारा ग्राहक को नहीं दी जाती ताकि वह प्रमाण के रूप में अपने पास रख सके। इसलिये इस तरह के अवैध धंधे पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिये।

कार्यक्रमों में बढ़ती है बिक्री:- पानी का कारोबार शादी-ब्याह के मौसम और अधिक बढ़ जाता है। सामान्य रूप से आफ सीजन में जितना कारोबार होता है उससे कई गुना अधिक गर्मी के मौसम में होता है। अब तो शादी समारोहों में भी इसी पानी की मांग हो रही है। नलकूप एवं कुओं के पानी का उपयोग अब केवल साफ सफाई के लिये ही होता है। यहा तक कि नगरीय निकायों के पानी का भी उपयोग शादी समारोहों में नहीं होता। बंद बोतलों में बिक्री होने वाले पानी को अब सादी समारोहो में यदि उपयोग नहीं किया गया तो माना जाता है कि आयोजक ने पानी की भी व्यवस्था नहीं की। एक तरह से स्टेटस सिम्बल बन चुका है। यही कारण है कि पानी के कारोबारी भी चतुराई के साथ काम करने लगे है। शादी समारोहों में अब छोटो छोटी बंद बोतलों का अधिक प्रयोग हो रहा है। इस तरह के प्रयोग से जहां कारोबारी को लाभ होता है। वहीं आयोजक भी लगता है कि पानी का दुरूपयोग कम होगा। किन्तु उन बोतलों में भी एजेंसी का नाम पता अंकित नहीं होता। पैकिंग की तारीख एवं एक्सपायरी की तिथि का भी उल्लेख नहीं किया जाता। इसलिये पानी की बढ़ती मांग को देखते हुये जिस तरह से स्थानीय स्तर पर पानी की बिक्री करने वाली एजेसियां अपना अवैध मायाजाल फैला रही हैं उन पर नकेल कसी जानी चाहिये।

स्वास्थ्य के कारणों को देखते हुये जो मानक निर्धारित हैं उसके अनुसार ही कारोवार की अनुमति मिलनी चाहिये। अन्यथा पता चलेगा कि इस क्षेत्र में और भी कई लोग सक्रिय होकर करोड़ों का कारोबार करते रहेंगे। जनता को लूटते रहेंगे, सरकार के टैक्स भी चोरी करते रहेंगे।

आखिर क्यों नहीं होती जांच?

बड़ा सवाल तो यह भी है पानी का कारोबार करने वाली एजेंसियो की समय-समय पर जांच क्यों नहीं होती? प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग इस तरह के मामले में चुप क्यों बैठा रहता है। जहां लाखों करोड़ो का कारोबार पानी का हो हा हो और दर्जनों एजेंसियां अवैधानिक रूप पानी की बिक्री शहर में कर रही हों। सरकारी कार्यालयों में पानी की सप्लाई कर रहीं हों तो नकी बैधता पर कार्यवाई क्यों नहीं होनी हिये? उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिये? नके कारोबार के संबंध में दिशा निर्देश क्यों हीं जारी होने चाहिये? उन एजेंसियों के कामो में छापे की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिये?

जालसाजी का भी मिलेगा प्रमाण

यह भी बताया जा रहा है पानी का अवैध कारोबार करने वाले कई ऐसे कारोबारी भी हैं। जो पानी पैक्ड बोतलों एवं पाउचों में प्रमाण के रूप में कुछ ऐसे मोनो छपवा कर यह साबित करना चाहते हैं कि उनके पास सब कुछ वैधानिक है। किन्तु प्रशासन यदि ऐसे कारोबारियों की जांच करवाये तो पता चलेगा कि सब कुछ काला ही चल रहा है। इस तरह की कार्रवाई एक तरह से जालसाजी और धोखाधड़ी ही मानी जा सकती है। जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरों का बीआईएस प्रमाण पत्र न हो और खाद्य लाइसेंस न हो फिर वे बंद बोतलों व पाउचों में फर्जी मोनो लगाकर यह बताने का प्रयास करें कि वे वैधानिक रूप से काम कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जायेगा।

पवई से मुरकुछु मार्ग पर हुई लीपापोती, गड्ढे जस के तस

नवभारत न्यूज

पवई/पन्ना 18 दिसंबर। 938 लाख रुपए की लागत से बने पवई से मुरकुछु बाया सुनवारी, जयपालनगर मार्ग 22 किलोमीटर जिसको बने हुए 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं, उसकी हालत जर्जर है। ठेकेदार के द्वारा गड्ढों की लीपा पोती का कार्य लाल मुरम और नाम मात्र कही कही हल्के सीमेंट का उपयोग कर कार्य किया गया, हालांकि गड्ढों की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

आखिर क्या वजह है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि सड़कों की हालात पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हो, चाहे बात पवई से सलेहा मार्ग की हो या फिर बात पवई तहसील के ग्लोब चैक से बाईपास रोड की हो जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की गांव गांव को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की संकल्पना पर देशभर में लाखों गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया और आज भी लगातार शासन प्रशासन के द्वारा गांव गांव में सड़कों की मरम्मत और गांवों में सड़क बनाने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है, लेकिन अब इस तरह की पारदर्शी योजना भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। जहां ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण के बाद 5 वर्ष की गारंटी दी जाती है और यह सड़क तो गारंटी होने के बावजूद खस्ताहाल हो चुकी है।

मूलभूत सुविधाओं के लिए देवेंद्रनगरवासी कर रहे संघर्ष

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। देवेंद्रनगर नगर के विकास की आस पिछले चार दशकों से अधूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, पर्यटन सहित अन्य मामलों में नगर लगातार पिछड़ता जा रहा है। 40 वर्ष बाद भी नगर की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। न तो नए शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ, न सिविल अस्पताल की लंबे समय से लंबित योजना पर कोई कदम बढ़ा।

लोग मामूली विवादों और शिकायतों के लिए भी जिले की परिक्रमा करने को मजबूर हैं। नगर की एकमात्र ऐतिहासिक तलैया (तालाब) सौंदर्यीकरण की घोषणाओं में उलझी हुई है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जलभराव की मूल समस्या जस की तस है। देवेंद्रनगर बांध देवी घाट, बसु घाट जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोत लगातार उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। नगर की बड़ी मात्रा में शासकीय भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। नगर परिषद और राजस्व विभाग ने दशकों से कोई समग्र सर्वेक्षण तक नहीं कराया। यदि शासकीय भूमि चिन्हांकित कर मुक्त कराई जाए तो टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडी, पार्किंग जोन, सामुदायिक भवन, हरित क्षेत्र, चैड़ी सड़कें विकसित की जा सकती हैं। पुरानी गल्ला मंडी को मॉडर्न टाउन हॉल, कम्युनिटी सेंटर या बहुउद्देश्यीय भवन के रूप में विकसित किया जा सकता है। भूमि आज भी कृषि उपज मंडी अधिनियम में दर्ज होने से विकास कार्य रुका हुआ है। नगर में पहले चिल्ड्रन पार्क मौजूद था, लेकिन उसे हटाकर सामुदायिक भवन व पानी की टंकी बना दी गई।

नगर में एक भी पार्क नहीं:- देवेंद्रनगर में एक भी सुविधा युक्त पार्क नहीं है। एक दिन नियत साप्ताहिक अवकाश और बाजार व्यवस्था लागू नहीं होने से दुकानदार और कर्मचारी दोनों प्रभावित हैं। जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी यहां सुधार की दिशा में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इससे यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है।

सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत 18 दिवसीय सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। पुलिस मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के मार्गदर्शन में पन्ना पुलिस द्वारा सामाजिक एवं कानूनी विषयों पर 18 दिवसीय सृजन कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल, पन्ना में प्रारंभ किया गया।

उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ आज दिनांक 18 दिसंबर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वन्दना चैहान द्वारा किया गया। शुभारंभ के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को

संबोधित करते हुए बताया गया कि सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के ऐसे बच्चों एवं किशोरों को मुख्यधारा से जोड़ना है, जो विभिन्न कारणों से कम उम्र में ही शिक्षा से वंचित हो गए हैं या समाज की मुख्य धारा से भटक गये है तथा उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक एवं सशक्त नागरिक के रूप में विकसित करना है। इस 18 दिवसीय सृजन कार्यक्रम में आगरा मोहल्ला क्षेत्र के लगभग 90 बच्चों को शामिल किया गया है, जिनमें अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी है। कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान आगामी दिनों में पास्को एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, आईटी एक्ट, साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया सेफ्टी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यातायात नियम आदि पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।

उक्त कार्यक्रम में डी.एस.पी. (अजाक) राजेन्द्र मोहन दुबे, रक्षित निरीक्षक पन्ना खिलावन सिह कंवर, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक नीलम लक्ष्यकार, एवं प्रशिक्षक प्र.आर. भान सिंह एवं इमरान खान सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवैध कटाई पर सख्ती, शाहनगर में वन विभाग की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। दक्षिण वनमंडल पन्ना के वन परिक्षेत्र शाहनगर अंतर्गत बीट बोरी गजदा अतरहाई में प्रात:कालीन गश्त के दौरान कटनी जिले से अवैध कटाई के उद्देश्य से आई महिलाओं को रोका गया।

यह बीट कटनी जिले के रीठी क्षेत्र से सटा हुआ है। मौके पर 33 नग कुल्हाड़ियां जब्त की गईं। वन अमले एवं ग्राम वन समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा संबंधित ग्रामीणों और महिलाओं को समझाइश दी गई कि हरे भरे जीवित पेड़ों एवं प्राकृतिक पुनरुत्पादन की कटाई न करें। इस कार्यवाही में ग्राम वन समिति महेवा के अध्यक्ष भूरा बंजारा, ग्राम वन समिति ठरका की उपाध्यक्ष श्रीमती ताराबाई विश्वकर्मा, ग्राम वन समिति चलनी की अध्यक्ष श्रीमती राजरानी सहित बीट गार्ड बोरी अतरहाई प्रेम नारायण वर्मा, बीट गार्ड गजदा शिव प्रताप सिंह, आदि की सक्रिय भूमिका रही।

रामेश्वरम-मदुरई की तीर्थ यात्रा के लिए 22 को रवाना होंगे तीर्थ यात्री

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनांतर्गत पन्ना जिले के चयनित तीर्थ यात्रियों को आगामी 22 दिसम्बर को रामेश्वरम-मदुरई की सात दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए कलेक्ट्रेट पन्ना से सुबह बस के माध्यम से नि:शुल्क खजुराहो रेल्वे स्टेशन तक भेजा जाएगा।

गत दिवस जिले के 250 तीर्थ यात्रियों का लॉटरी के जरिए चयन किया गया था। इसमें पन्ना तहसील के 164, देवेन्द्रनगर के 22, गुनौर के 32, अमानगंज एवं सिमरिया के 11-11 तथा शाहनगर तहसील के 10 तीर्थ यात्री शामिल हैं। 22 दिसम्बर को शाहनगर एवं सिमरिया के तीर्थ यात्री सीधे खजुराहो रेल्वे स्टेशन पहुंचेगे, जबकि शेष तहसील के यात्रियों को कलेक्ट्रेट से रवाना किया जाएगा।

रामेश्वरम-मदुरई ट्रेन खजुराहो से सुबह 11 बजे रवाना होगी। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अनुरक्षकों की ड्यूटी भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सहायक उप निरीक्षक जौहर वर्मा एवं देवेन्द्र नायक तथा प्रधान आरक्षक राकेश सोनी, संजय पटेरिया एवं रामसुहावन पटेल की ड्यूटी भी लगाई गई है। चयनित तीर्थ यात्री द्वारा यात्रा में प्रस्थान न करने की स्थिति में अन्य किसी व्यक्ति को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रा में तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम की तैनाती भी की गई है।

आत्महत्या की रोकथाम के लिए गेटकीपर्स को दिया गया प्रशिक्षण

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आत्महत्या की रोकथाम के लिए गेटकीपर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशिक्षण केन्द्र पन्ना में किया जा रहा है।

उक्त प्रशिक्षण की शुरूआत प्री-टेस्ट के साथ हुई जिसमें प्रतिभागियो के संबंधित विषय पर जानकारी का आकलन किया गया। नोडल अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ महिका झा सिंह एवं क्ली निकल्स साईकोलॉजिस्ट श्रीमति ज्योति मिश्रा ने आत्महत्या के कारणो और निवारण पर विशेष चर्चा की और ऐसी घटनाओ की त्वरित पहचान हेतु गेट कीपर की भूमिका को समझाया। सीपीएचसी सलाहकार डॉ पूजा तिवारी ने आत्महत्या रोकथाम की विधियों और रेफरल प्रक्रिया पर जानकारी दी। नर्सिग ऑफिसर शिवानी सिंह ने जिला चिकित्सालय के मनकक्ष में प्रदान की जा रही सेवाओ और राष्ट्रीय टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 के विषय में चर्चा की। इस दौरान सभी प्रतिभागियो को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने वाला मनहित एप डाउनलोड कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर पी तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हुए इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दो की समय पर पहचान कर प्रभावी हस्तक्षेप के साथ ऐसी अप्रिय घटनाओ को रोकना है।

दक्षिण वन मंडल का अनुभूति प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। आज दिनांक 18 दिसंबर को दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र पवई में वर्ष 2025-26 हेतु एक दिवसीय अनुभूति प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश इको-पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा संचालित अनुभूति कार्यक्रम को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रभावी रूप से संपन्न कराना, विभाग के मैदानी अमले की

कार्यक्षमता में वृद्धि करना, छात्रदृछात्राओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता विकसित करना, तथा विभागीय दायित्वों एवं पद संरचना की स्पष्ट समझ के साथ उनके प्रभावी निर्वहन हेतु सकारात्मक सोच एवं प्रेरणा प्रदान करना रहा। प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से प्रेरकों को व्यवहारिक अनुभव साझा करने, समस्याओं के समाधान खोजने तथा टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को नेचर ट्रेल भी कराई गई।

महाविद्यालय चलो अभियान की विद्यार्थियों को दी गई जानकारी

नवभारत न्यूज

पवई/पन्ना 18 दिसंबर। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र अनुसार शासकीय महाविद्यालय पवई द्वारा कॉलेज चलो अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत गुरुवार को शासकीय उच्चतर कन्या विद्यालय में महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा छात्राओं को ई- प्रवेश ,शासन की हितग्राही योजनाएं जैसे (छात्रवृत्ति ,मेधावी, प्रतिभा किरण एवं गांव की बेटी योजना एवं खेल एवं पुस्तकालय तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा विषय की चयन की जानकारी दी गई

कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ ज्योति डॉवर के मार्गदर्शन में गठित टीम में डॉ प्रवीण सिंह, डॉ सविता वर्मा एवं विद्यालय से प्राचार्य एवं स्टॉफ उपस्थित रहे।

मातृ मृत्यु प्रकरण में लापरवाही पर एएनएम पर की गई कार्यवाही

पन्ना 18 दिसंबर। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रैपुरा में पदस्थ संविदा एएनएम आसमा खान की मातृ मृत्यु प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर सीएमएचओ द्वारा कार्यवाही की गई। ज्ञात है कि पिपरिया खुर्द निवासी श्रीमति संजो लोधी की प्रसव के पश्चात हुई मृत्यु में संबंधित एएनएम की लापरवाही पाए जाने पर सीमएचओ डॉ आर पी तिवारी द्वारा आसमा खान संविदा एएनएम का पॉच दिवस का मानदेय काटने एवं आगामी आदेश तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र महोडखुर्द में ड्यूटी करने का आदेश जारी किया गया है।

विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स समन्वय से कार्य कर प्रकरण स्वीकृति एवं ऋण वितरण कार्य में लाएं तेजी

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 दिसंबर। स्वरोजगारमूलक योजनाओं में निरंतर अपेक्षित प्रगति के लिए विभागीय अधिकारी एवं बैंकर्स समन्वय के साथ कार्य करें। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष समयावधि में लक्ष्य मुताबिक हितग्राहीमूलक योजनाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए। नवीन जरूरतमंद हितग्राही का भी अपने स्तर पर चिन्हांकन करें।

यह निर्देश कलेक्टर ऊषा परमार ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई डीएलसीसी बैठक में उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारी तथा बैंकर्स को दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण स्वीकृति उपरांत परियोजना के सफल संचालन का फॉलोअप भी करें। लक्ष्य के विरूद्ध प्रकरण स्वीकृति व ऋण वितरण कार्य में तेजी लाएं। बैठक में बैंकवार लंबित प्रकरण की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि वर्तमान में मुद्रा लोन एवं बैंक लिंकेज की स्थिति ठीक नहीं है। आगामी बैठक में इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा भी होगी। उन्होंने आजीविका मिशन की टीम द्वारा बैंक में संपर्क कर स्वसहायता समूह की महिलाओं को आजीविका लोन वितरण में प्रगति लाने के लिए भी कहा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना सहित हितग्राहियों को जरूरत मुताबिक

आसानी से अन्य योजनाओं में ऋण स्वीकृति के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के नए लक्ष्यों पर भी विशेष फोकस किया जाए। जिला अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को तय दिवस पर जानकारी के साथ बैंक भेजने तथा सकारात्मक सोच के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहा। जिला कलेक्टर द्वारा बैंको के माध्यम से संचालित ब्याज सब्सिडी स्कीम की समीक्षा कर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए। इस योजना में अधिकतम 9 लाख रूपए वार्षिक आय वाले आवेदक को 25 लाख रूपए तक का होम लोन 7.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। इसमें अधिकतम एक लाख 80 हजार रूपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है।

1 एवं 2 रूपए के सिक्के न लेने पर होगी कार्रवाई:- डीएलसीसी बैठक में पन्ना जिले में 1 एवं 2 रूपए के सिक्के प्रचलन में न होने संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया, जबकि सिक्के वैध रूप से अब भी प्रचलन में है। जिला कलेक्टर द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त की गई और संबंधित व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खसरा एवं फसलवार प्रीमियम कटौती करने, आरसेटी संस्थान में वार्षिक कार्ययोजना मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बैंक सखी का बैच तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया। डीएलसीसी बैठक में जिला पंचायत सीईओ एवं लीड बैंक अधिकारी शमा बानो सहित विभागीय अधिकारी और समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।

इकाई स्थापना न करने पर तीन हितग्राहियों से होगी वसूली

जिला कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर शत प्रतिशत पात्र पशुपालकों को केसीसी से लाभांवित करने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत सेंट्रल बैंक की पन्ना एवं अमानगंज तथा इंडियन बैंक की पन्ना शाखा द्वारा बकरी पालन इकाईयों के लिए स्वीकृत ऋण के विरूद्ध लापरवाही एवं इकाई स्थापना न करने पर तीन हितग्राहियों के विरूद्ध आरआरसी दर्ज कर राशि वसूल करने के निर्देश भी दिए गए। इन हितग्राहियों को योजना में 25-25 लाख रूपए स्वीकृत किए गए थे। बैठक में मत्स्यपालन, अंत्यावसायी, उद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। साथ ही अवगत कराया गया कि अग्रणी बैंक कार्यालय पन्ना द्वारा गत दिवस शिविर लगाकर डेफ अकाउंट में जमा 1.86 करोड़ रूपए के क्लेम का सेटअप किया गया है। इसके लिए आगामी दिवसों में पुन: अभियान चलाया जाएगा।